कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती अल्पना बोहरा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदासर जिला बीकानेर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 54 जी.बी, जिला श्रीगंगानगर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती बोहरा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 15840/2019 श्रीमती अल्पना बोहरा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15840/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती अल्पना बोहरा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, माननीय न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल याचिका संख्या 15035/2019 विमला सोनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में एक सप्ताह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी अल्पना बोहरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं को गृह जिले से बाहर पदस्थापित किये जाने, स्थानान्तरित स्थान के दूरस्थ होने एवं अधिक दूरी तक यात्रा न किये जाने की चिकित्सकीय सलाह के मद्देनजर अपना पदस्थापन अपने गृह जिले बीकानेर में राउमावि पांचू, अथवा राउमावि धीरेरा, लूनकरणसर या राउमावि खिंयेरा, लूनकरणसर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल याचिका 15035/2019 श्रीमती विमला सोनी बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा चाहे गए राउमावि धीरेरा एवं राउमावि खियेंरा में वर्तमान में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। याचिकार्थी श्रीमती अल्पना बोहरा की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों, व्यक्तिगत कठिनाईयों एवं विकट शारीरिक दशाओं को मद्देनजर रखते हुए उनका समायोजन/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पांचू जिला बीकानेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। श्रीमती अल्पना बोहरा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में अपने नवीन समायोजित स्थान पर प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल प्रभाव से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/अल्पना/15840/2019 दिनांक 01.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति पांचू जिला बीकानेर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य, श्रीमती चन्दन बाला पारीक, को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)